User Manual

e-LEGAL APPLICATION

COMMERCIAL TAX DEPARTMENT

GOVT. OF UTTARAKHAND

कृपया भाषा का चयन करें।

Please select your language

यहां क्लिक करें..... **हिन्दी**

click here….. **English**

अनुक्रमणिका

(परिपत्र देखें)

1. प्रस्तावना..... पेज 4

2. पूर्वापेक्षा (Pre-requisites)..... पेज 5

3. मुख्य बिन्दु ..... पेज 6

4. प्रश्नोत्तरी (FAQs) ..... पेज 7

5. ई-लीगल एप्लीकेशन ऑन लाईन देने की प्रक्रिया..... पेज 10

6. नुस्खे (Tip) ..... पेज 12

(वापस भाषा पर जाएं)

प्रस्तावना:

वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वर्तमान मे ई-रजिस्ट्रेशन, ई-पेमेन्ट जैसी कई ऑनलाईन सेवाएं अपने सम्मानित व्यापारीगणों को प्रदान की जा रही है। विभाग को यह अवगत कराते हुए अत्यन्त हर्ष का अनुभव हो रहा है कि करदाताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए विभाग ऑनलाईन फार्म-सी एवं फार्म-11 की सफलता के पश्चात् ऑनलाईन ई-लीगल एप्लीकेशन की सुविधा प्रारम्भ करने जा रहा है। इस सुविधा के अन्तर्गत व्यापारीगणों को मूल्यवर्धित कर अधिनियम-2005 के तहत विभिन्न धाराओं जैसे धारा-7(1), धारा 7(2), धारा (30), धारा (31), धारा 35(1) के प्रार्थना पत्र **ऑनलाईन विभाग में जमा कराये जा सकते हैं।** अब व्यापारियों को वर्ष 2014-15 में 1 अप्रैल 2014 से इन सभी प्रार्थना पत्रों को वाणिज्य कर विभाग में जमा करने हेतु कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं रह जायेगी तथा वे अपने ऑफिस या प्रतिष्ठान में बैठकर ही अपने कम्प्यूटर से ऑनलाईन ई-लीगल एप्लीकेशन को जमा कर सकेगें।

(वापस अनुक्रमणिका पर जांए)

पूर्वापेक्षा ¼ Pre-requisites½ %

इस सुविधा का उपयोग करने के लिए किसी Specific system configuration की आवश्यकता **नहीं** है। किन्तु यह सुनिश्चित करें कि –

1– आपके कम्प्यूटर में **इन्टरनेट कनैक्शन** उपलब्ध हो तथा **PDF Reader Installed** हो।

2– प्रिन्टर व ए–4 साईज पेपर उपलब्ध हों।

(वापस अनुक्रमणिका पर जांए)

मुख्य बिन्दुः

- यह सुविधा ***दिनांक 01-04-2014*** से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा धारा-7(1), धारा 7(2), धारा (30), धारा (31), धारा 35(1) के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रार्थना पत्रों के लिए उपलब्ध रहेगी।

- आन-लाईन तरीके से दिये गये इन प्रार्थना पत्रों का प्रिन्ट आउट प्रिन्ट आपशन में जाकर व्यापारी द्वारा लिया जा सकता है।

- दिये गये प्रार्थना पत्रों की हार्ड कापी वांछित अभिलेखों के साथ जिस खण्ड में व्यापारी पंजीकृत हो उस खण्ड में सक्षम अधिकारी के समक्ष 05 दिन में प्रस्तुत करना हैं।

(वापस अनुक्रमणिका पर जांए)

प्रश्नोत्तरी (FAQs) %

(नोट– उत्तर के लिए प्रश्न पर क्लिक करें)

प्रश्न 1 : ई–लीगल अप्लीकेशन के अन्तर्गत कौन कौन से प्रार्थना पत्र आयेंगें जिनको ऑन लाईन देना है?

प्रश्न 2 : ई–लीगल अप्लीकेशन के लिये किस प्रकार आवेदन करना है?

प्रश्न 3 : एक बार में एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा कितने लीगल एप्लीकेशन दिये जा सकते हैं?

उत्तर 1 : वाणिज्य कर विभाग में समय-समय पर आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के प्रार्थना पत्र पंजीकृत व्यापारी द्वारा दिये जाते हैं। उनमें से निम्न धाराओं में दिये जाने वाले प्रर्थाना पत्रों को ऑन-लाईन देने की सुविधा दी जा रही है-

- धारा 7(1)- (छोटे व्यापारियों के द्वारा अपनायी जाने वाली समाधान स्कीम हेतु जिनका टर्न ओवर 50 लाख से कम हो।)
- धारा 7(2)- (सिविल/विद्युत संविदाकारों द्वारा अपनायी जाने वाली समाधान स्कीम हेतु)
- धारा 30- (भूल सुधार हेतू।)
- धारा 31-(कर निर्धारण के किसी आदेश को अपास्त करने हेतु।)
- धारा 35(1)-(स्त्रोत पर कर कटौती के संम्बन्ध में।)

(वापस प्रश्न पर जाएं)

उत्तर 2 : यह बहुत आसान है, इसके लिये आपको कार्यालय में जाकर प्रार्थना पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपना यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड का प्रयोग करते हुये वाणिज्य कर विभाग की वैवसाईट ½**http://comtax.uk.gov.in**½ पर लॉग इन करना है, जहां आपको **e-Legal application** का **option** मिलेगा, इस **option** पर क्लिक करके आपको जिस धारा में प्रार्थना पत्र देना है उसे **select** करते हुये वांछित सूचनाओं को दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रार्थना पत्र को **Online submit** करना है।

(वापस प्रश्न पर जाएं)

उत्तर 3 : इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। एक व्यापारी द्वारा विभिन्न धाराओं में जिसमें वह उचित समझता है। ऑन लाईन लीगल एप्लीकेशन दाखिल की जा सकती है।

(वापस प्रश्न पर जाएं)

(वापस अनुक्रमणिका पर जाएं)

E-Legal प्रार्थना पत्रों को Online Apply करने की प्रक्रिया :

STEP 1: विभागीय वेवसाइट पर http:// comtaxappl.uk.gov.in में Log In पर Dealer account में log in करें।

STEP 2: बांयी तरफ प्रदर्शित हो रहे विकल्प E-Legal application पर क्लिक करें।

STEP 3: E-Legal application के अन्तर्गत निम्न विकल्प उपलब्ध दिखेंगे :-

- U/S 7(1) (Application for Composition of tax)
- U/S 7(2) (Application for Composition Scheme by civil/ electrical contractors)
- U/S 30 (Application Rectification of mistake)
- U/S 31 (Application to set aside an order of assessment)
- U/S 35 (Application for Deducation of tax at Lowell rate)

STEP 4: जिस धारा में प्रार्थना पत्र देना है उक्त धारा के प्रार्थना पत्र को चयनित करते हुए उस पर क्लिक करें।

STEP 5: उक्त धारा में दिये जाने वाले प्रार्थना पत्र जिस Assessment year से सम्बन्धित है, उसे Drop Down से select करें। Drop down से assessment year select करें।

STEP 6: उक्त प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित मांगे गये Fileds को भरें।

STEP 7: समस्त Filed को भर कर save application को click करें।

STEP 8: save application को click करते ही Application No. generate हो जाती है। तत्पश्चात् Modify Application एवं final submission का option मिलता है।

STEP 9: यदि प्रार्थना पत्र में किसी Filed को बदलना है तो modify application को क्लिक करके किसी भी field मे कोई भी change कर सकते हैं।

STEP 10: Final submit का बटन दबते ही उक्त प्रार्थना पत्र CTD office में Submit हो जाता है।

STEP 11: अब "Print application के option पर जाकर प्रार्थना पत्र का प्रिन्ट out ले लें एवं प्रार्थना पत्र online submit करने के बाद दस दिनों के अन्दर किसी भी कार्यदिवस में वांछित समस्त अभिलेखों के साथ अपने खण्ड कार्यालय में सम्बन्धित अधिकारी के समक्ष उपस्थित हों।

(वापस अनुक्रमणिका पर जांए)

uL[k (Tips) %

- अच्छे परिणाम के लिए यह सुनिश्ति करें कि आप **Mozilla firefox** ब्राउजर का प्रयोग कर रहे हों।

- ई–लीगल एप्लीकेशन दाखिल करते वक्त उक्त धारा में दी गयी समस्त शर्तें ध्यान पूर्वक पढ लें तदुपरान्त ही प्रार्थना पत्र भरें।

- आपकी सुविधा के लिए वाणिज्य कर विभाग की वैब साईट www.comtax.gov.in पर updated वैट एक्ट एवं रूल्स उपलब्ध हैं।

- अपना यूजर आई0डी0 व पासवर्ड सुरक्षित रखें तथा निश्चित अन्तराल पर बदलते रहें। पासवर्ड याद न रहने की स्थिति में फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग कर अपनी ई–मेल आई0डी0 पर अपना नया पासवर्ड भेंजें किन्तु यह ध्यान रखें कि आपने अपनी ई–मेल आई0डी0 अपने अकाउण्ट में अपडेट कर दी हो।

(वापस अनुक्रमणिका पर जांए)

TABLE OF CONTENT

(View Circular)

1. Introduction ..... page 14
2. Prerequisites ..... page 15
3. Important points ..... page 16
4. Frequently Asked Questions (FAQs) ..... page 17
5. Process to submit E-legal application online..... page 20
6. Tips ..... page 22

(Back)

INTRODUCTION

Commercial Tax Department is providing several online services like e-registration, e-payment etc. to the dealers registered with the department. We are glad to inform you that after the success of online form-C & form-11 services, department has stepped further to provide its dealers the facility of filing legal applications online through E-legal application service. Dealer can now submit there applications of legal nature U/s 7(1), U/s 7(2), U/s (30), U/s (31), & U/s 35 (1) of Vat act 2005 **online.**

With this facility form 1 April 2014 dealer would not be required to visit the respective sectors offices, in person, to submit these applications. They would now be able to file these legal application from their premises or their working desks online at the time of their ease.

(Back to contents)

PREREQUISITES

Your computer system does not require any specific system configuration to avail this facility. However dealer must ensure that

- ✓ There is an internet connection in your computer system with PDF reader installed in it.
- ✓ A printer with A-4 size paper in attached/available.

(Back to contents)

IMPORTANT POINTS

- This facility shall be available for application U/s 7(1), U/s 7(2), U/s (30), U/s (31) & U/s 35 (1) of Vat act with effect from 01-04-2014

- The print out of the application filled so, can be taken through **Print** option.

- The hard copy of such online submitted application of should be produced before the respective sector officer in 05 consecutive days.

(Back to contents)

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

(Note- click on questions to get answer)

Question 1 : What are all the application which can be filled under E-legal application.

Question 2 : what is the process of the filing E-legal application

Question 3 : How many application a registered Dealer can file at the time?

Answer 1: There are a number of applications that are submitted by the registered dealer in Commercial Tax Department.

The application under following section shall now the filled online

- U/S 7(1) (Application for Composition of tax)
- U/S 7(2) (Application for Composition Scheme by civil/electrical contractors)
- U/S 30 (Application Rectification of mistake)
- U/S 31 (Application to set aside an order of assessment)
- U/S 35(1) (Application for Deduction of tax at Lower rate)

(Go back to questions)

Answer 2 : Its easy, First, login with your User ID & password at Department's website (http://comtax.uk.gov.in). Here, you'll get the Option for E-legal application on left side at the bottom. Click on this option and select the type or section of the application you need to file.

Now, proceed to fill the required field in the as directed and save & submit your application

(Go back to questions)

Answer 3 : There is no limitation. A registered dealer can file as many applications as he thinks necessary at a point of time, be it under the same section or different section.

(Go back to questions)

(Back to contents)

Process to submit E-legal application online

STEP 1: Log on to department'' website (http://comtax.uk.gov.in) and sign in to Dealer account.

STEP 2: Click on E-legal application on left bottom side of the screen.

You'll find the following option under E-legal application.

STEP 3: Select and click the type of application you need to file.

STEP 4: Select the Assessment year for which are going to submit the application from Drop down box on the main page & click on **'Proceed'**

STEP 5: Fill in the required field.

STEP 6: Click on **"Save application"** and an application number is generated at once.

STEP 7: Now, you get two 'Option'

- **Modify Application**
- **Final submit application to CTD**

STEP 8: If you want to change the details given in any field, click on the **Modify Application** tab and edit the field.

STEP 9: Once you click on **'Final submit'** option your application is submitted to Commercial Tax Department office.

STEP 10: Now, you can take print of the application by clicking '**Print Application'.**

STEP 11: You are required to present before your sector officer with all the requisite documents in next 10 days, on any working day.

(Back to contents)

TIPS

- Our website is compatible with Mozilla Firefox Browser. Kindly use the same for the best result.

- Read all the provisions under particular section of VAT act before filing E-legal application of that particular section.

- For you convenience, updated VAT act & Rules are available on departments website (http://comtax.uk.gov.in).

- Protect your user ID & password and keep changing it after a certain period. It you don't remember your password click on '**FORGET PASSWORD'**. You can get a new password in your e-mail ID. Remember, to update your e-mail ID in your dealer account.

(Back to contents)

पत्रांक/ 6047 /आयु0क0उत्तरा0/विधि0अनु0/वाणि0कर/2013–14/दे0दून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
देहरादून :: दिनांकः 12 मार्च 2014

–: विज्ञप्ति :–

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियम–2005 के नियम–55 के अंतर्गत

(e-legal application को online apply करने के सम्बन्ध में)

वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों द्वारा समय–समय पर अपनी आवश्यकतानुसार उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की विभिन्न धाराओं में जैसे, धारा–7 (समाधान स्कीमों हेतु), धारा–30 (भूल सुधार हेतु), धारा–31 (कर निर्धारण के किसी आदेश को अपास्त करने हेतु), धारा–35 (स्रोत पर कर कटौती के सम्बन्ध में) प्रार्थना पत्र दिये जाते हैं।

विभागीय कम्प्यूटरीकरण एवं विभागीय कार्यों में दक्षता एवं पारदर्शिता के उद्देश्य से शीघ्र ही इन सभी प्रार्थना पत्रों को ऑनलाईन करने की सुविधा सभी पंजीकृत व्यापारियों को दी जानी है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिनांक 01 अप्रैल से उक्त संदर्भित धाराओं में दिये जाने वाले सभी प्रार्थना पत्र ऑनलाईन दाखिल किये जायेंगे। व्यापारी एवं कार्यालय स्तर से इस सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रकिया निम्नवत निर्धारित की जाती है :–

1– व्यापारियों के स्तर से अपनाई जाने वाली प्रकिया : –

सभी पंजीकृत व्यापारियों द्वारा विभागीय वेवसाइट http:// comtax.uk.gov.in में अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड से लॉगइन करते हुए निम्न प्रकिया को अपनाना है –

Step 1 विभागीय वेवसाइट पर http:// comtaxappl.uk.gov.in" में Log In पर Dealer account में log in करें।

Step 2 बांयी तरफ प्रदर्शित हो रहे विकल्प "E-Legal application" पर क्लिक करें।

Step 3 E-Legal application के अन्तर्गत निम्न विकल्प उपलब्ध दिखेंगे :–
U/S 7(1) (Application for Composition of tax)
U/S 7(2) (Application for Composition Scheme by civil/electrical contractors)
U/S 30 (Application for Rectification of mistake)
U/S 31 (Application to set aside an order of assessment)
U/S 35 (Application for Deduction of tax at Lower rate)

Step 4 जिस धारा में प्रार्थना पत्र देना है उक्त धारा के प्रार्थना पत्र को चयनित करते हुए उस पर क्लिक करें।

Step 5 उक्त धारा में दिये जाने वाले प्रार्थना पत्र जिस Assessment year से सम्बन्धित है, उसे Drop Down से select करें।

Step 6 उक्त प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित मांगे गये Field को भरें।

Step 7 समस्त Fields को भर कर save application पर click करें।

Step 8 save application को click करते ही Application No. generate हो जाती है। तत्पश्चात् Modify Application एवं final submission का option मिलता है।

Step 9 यदि प्रार्थना पत्र में किसी Field को बदलना है तो modify application को क्लिक करके किसी भी field मे कोई भी change कर सकते हैं।

Step 10 Final submit का बटन दबते ही उक्त प्रार्थना पत्र CTD office में Submit हो जाता है।

Step 11 "Print application के option पर जाकर प्रार्थना पत्र का Print out ले लें । इस प्रकार लिए गए प्रिन्ट आउट पर व्यापारी द्वारा निदिष्ट स्थान पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके उपरान्त उक्त प्रिन्ट आउट सम्बन्धित अभिलेखों (Supportive Documents) सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 5 दिन के अन्दर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कर निर्धारण अधिकारी यदि किन्ही अन्य दस्तावेजों/अभिलेखों की आवश्यकता समझते हो तो उसी समय से दस्तावेज/अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु तिथि निर्धारित करेंगे।

2— कार्यालय स्तर से अपनाई जाने वाली प्रकियाः—

उपरोक्त के कम में समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में व्यापारियों से इन सभी धाराओं में आने वाले प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में निम्न प्रकिया अपनायेंगेः—

Step 1 सर्वप्रथम " CT Application" में Log In किया जायेगा।

Step 2 तत्पश्चात " Dealer Registration and Management system" पर क्लिक करें।

Step 3 यहां "Top Menu" में उपलब्ध विकल्प " Disposal Application" पर उपलब्ध Drop Down में से " Dispose online legal Application" विकल्प चयनित करना है।

Step 4 अब खुलने वाले Page पर " List of E-Legal Application Receive" उपलब्ध रहती है। इस पेज में से जिस प्रार्थना पत्र के बारे में निर्णय लेना है उसके सामने "Take Action" वाले Column में "Take Action" पर क्लिक करें।

Step 5 अब खुलने वाले Page पर उस व्यापारी एवं प्रार्थना पत्र का विवरण संक्षेप में आ जाता है।

Step 6 "View the whole Application" पर क्लिक करके व्यापारी द्वारा दी गई सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र देख सकते हैं।

Step 7 कर निर्धारण अधिकारी उक्त प्रकार से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में जहां किसी अतिरिक्त दस्तावेज/साक्ष्य एवं सुनवाई की आवश्यकता नहीं है, प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 15 दिन के भीतर निस्तारण कर दें।

यदि प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अतिरिक्त दस्तावेज/साक्ष्य की आवश्यकता है, किन्तु सुनवाई की आवश्यकता नहीं है, तो दस्तावेज/साक्ष्य प्राप्ति के 15 दिन के भीतर निस्तारण कर दें।

यदि प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में सुनवाई की आवश्यकता है, तो इस प्रकार से तिथि निर्धारित की जाए कि प्रार्थना पत्र का निस्तारण, प्रार्थना पत्र उक्त प्रकार से Online प्रस्तुत करने के एक माह के भीतर हो जाए।

पेज—3

Step 8 तत्पश्चात् उक्त प्रार्थना पत्र पर लिए गए निर्णय के आधार पर " Accept or Reject Application" का विकल्प चुने एवं नीचे बने Date के Drop Down से Acceptance or Rejection की Date का चयन करें।

विभागीय वेवसाइट पर http:// comtaxappl.uk.gov.in" पर उपलब्ध user manual में इस सम्बन्ध में सभी जानकारियां विस्तार से दी गई हैं।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि धारा–31 एवं धारा–30 का प्रार्थना पत्र यदि किसी अपंजीकृत व्यापारी द्वारा दिया जाता है तो वह पूर्व की भांति manual ही देगा।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 6047 / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।
3– अध्यक्ष / सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून / हल्द्वानी।
4– सलाहकार कर, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून / कुमांऊ जोन रूद्रपुर।
6– एडिशनल कमिश्नर (आडिट / प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
7– **ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून / हरिद्वार / काशीपुर / हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों / बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**
8– ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून / हल्द्वानी।
9– **ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0 / प्रवर्तन) वाणिज्य कर, / हरिद्वार / रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ** समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10 ~~Website पर Update करने हेतु~~। श्री रोशनलाल डिप्टी कमिश्नर (कं नि0-3) देहरादून एवं Web-Information Officer विभागीय Website पर Update करने हेतु।
11– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रूड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
12– **आई0टी0–अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों / अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।**
13–Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर IInd Floor 13– आर0 सिंधुआ मार्ग मुम्बई–400001 महाराष्ट्र।
14–National Law House बी–2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड़, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
15–National Law and Management House 15 / 5 राजनगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
16–Swastk Publication एस0ई–233, शास्त्री नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
17–Law Book Traders 10–नगर निगम कम्पाउण्ड केसरगन्ज रोड़ मेरठ उ0 प्र0।
18–डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्या0 कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।
19–अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज, माहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।

पेज–4

Step 8 तत्पश्चात् उक्त प्रार्थना पत्र पर लिए गए निर्णय के आधार पर " Accept or Reject Application" का विकल्प चुने एवं नीचे बने Date के Drop Down से Acceptance or Rejection की Date का चयन करें।

विभागीय वेवसाइट पर http:// comtaxappl.uk.gov.in" पर उपलब्ध user manual में इस सम्बन्ध में सभी जानकारियां विस्तार से दी गई हैं।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि धारा–31 एवं धारा–30 का प्रार्थना पत्र यदि किसी अपंजीकृत व्यापारी द्वारा दिया जाता है तो वह पूर्व की भांति manual ही देगा।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 604 / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।
3– अध्यक्ष / सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून / हल्द्वानी।
4– सलाहकार कर, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून / कुमांऊ जोन रूद्रपुर।
6– एडिशनल कमिश्नर (आडिट / प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
7– **ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून / हरिद्वार / काशीपुर / हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों / बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**
8– ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून / हल्द्वानी।
9– **ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0 / प्रवर्तन) वाणिज्य कर, / हरिद्वार / रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ** समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10 ~~Website पर Update करने हेतु~~। श्री रोशनलाल डिप्टी कमिश्नर (कं नि0-3) देहरादून एवं Web-Information Officer को आगामी Website पर Update करने हेतु।
11– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रूड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
12– **आई0टी0–अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों / अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।**
13–Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर IInd Floor 13– आर0 सिंधुआ मार्ग मुम्बई–400001 महाराष्ट्र।
14–National Law House बी–2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड़, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
15–National Law and Management House 15 / 5 राजनगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
16–Swastk Publication एस0ई–233, शास्त्री नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
17–Law Book Traders 10–नगर निगम कम्पाउण्ड केसरगन्ज रोड़ मेरठ उ0 प्र0।
18–डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्या0 कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।
19–अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज, माहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।

पेज–4